संख्या ए0वी0।4017/43/93-स्था0(आर0आर0)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16-8-93

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- नए सृजित पदों के लिए भर्ती नियम- इन नियमों के बनाए जाने में किसी प्रकार का विलम्ब न किए जाने के संबंध में ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 18.3.1980 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए0वी-।4017/।2/87-स्था0(आर0आर0) में निहित भर्ती नियमों के निर्माण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी है कि जैसे ही नए पद/सेवा के सृजन का अथवा किसी पद को अपग्रेड करने का अथवा किसी सेवा की पुर्नसंरचना निर्णय किया जाता है, तो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा उसके भर्ती नियमों को बनाने की कार्रवाई तत्काल की जानी चाहिए । भर्ती नियम उन सभी पदों के लिए बनाए जाने चाहिए जिनकी एक अथवा एक से अधिक वर्षों तक बने रहने की संभावना हो । इन मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों में यह प्रावधान भी है कि समूह "क" तथा समूह "ख" पदों/सेवाओं के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा अनुमोदित भर्ती नियम जितना जल्दी हो सके पहले इस विभाग को अनापत्ति के लिए भेजे जाने चाहिए तथा ये हर हालत में पद/सेवा के सृजन की तारीख से अधिकतम एक महीने तक भेज दिए जाएं ।

2. इस विभाग के ध्यान में ऐसे उदाहरण आए हैं जहां प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा एक मास की इस समय-सीमा का अनुपालन नहीं किया गया है जिससे संबंधित पद के भर्ती नियम तैयार करने में विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप पद भरा नहीं जा सका ।

3. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 3 मई, 1993 के कार्यालय ज्ञापन सं0 7(7)-ई0(समन्वय)/93 जिसमें व्यवस्था है कि यदि कोई पद एक या इससे अधिक वर्षों तक खाली रहता है तो इसे समाप्त हुआ समझा जाएगा, में निहित अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए बिना समय गंवाए नए सृजित पदों के लिए भर्ती नियम बनाना और भी जरूरी हो गया है । इन अनुदेशों में आगे यह प्रावधान है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग का एकीकृत वित्त ऐसे पद समाप्त किए जाने पर निगरानी रखे और यह सुनिश्चित करें कि एक साल से खाली पड़े पदों को समाप्त के आदेश एक महीने के भीतर जारी कर दिए जाएं । यदि बाद में पद बनाना आवश्यक हो जाए तो इसके लिये नए पदों के सृजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनानी होगी ।

....2/-

4. उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि किसी पद के सृजन के पश्चात् भर्ती नियम बनाने की तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई है तथा समूह "क" तथा "ख" पदों के लिए भर्ती नियमों के मसौदे को अन्तिम रूप दे दिया जाए तथा सम्मति के लिए यथा शीघ्र तथा पद के सृजन की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर इस विभाग को भेज दिए जाएं । यह भी कि नियमों को अन्तिम रूप दिए जाने के लिए लिया गया कुल समय किसी भी स्थिति में तीन मास से अधिक नहीं होना चाहिए ।

5. समूह "ग" तथा "घ" पदों के मामले में हालांकि ऐसे मसौदा नियमों का इस विभाग में भेजा जाना अपेक्षित नहीं होता है, फिर भी ऐसे नियमों को बनाने की कार्रवाई शीघ्र की जानी चाहिए तथा भर्ती नियमों को पद के सृजन की तारीख से तीन मास के भीतर अन्तिम रूप दिया जाए ।

6. उपर्युक्त अनुदेश सूचना तथा पूर्ण अनुपालन के लिए सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में लाए जाएं । गृह मंत्रालय से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को विषय-वस्तु संघ राज्य प्रशासन के ध्यान में ला दें ।

(य0गो0 पराडे)
निदेशक
दूरभाष: 3011479

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार) ।

100 अतिरिक्त प्रतियां ।